संख्या 10 / 2026/ 427/सत्रह-म-2026-17-1099/145/2025

प्रेषक,

राम चरन राम
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 28 फरवरी, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण सम्बंधी सहायता हेतु सृजित नवीन लेखाशीर्षक में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के पुरूष वर्ग में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 26.43 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-40/नि0शा0/2025-26 दिनांक 12.01.2026 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत पुरूष वर्ग में प्राविधानित धनराशि रू0 16500.00 लाख में से पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-17, लेखाशीर्षक-2405- मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन-01- केन्द्रप्रायोजित योजनाएं, 0106- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत पारंपरिक मछुआरों के लिए आजीविका और पोषण सहायता (के0-33.33/रा0-33.33/ला0-33.33 के0+रा0) 20- सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) में धनराशि रू0 26.43 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-17, लेखाशीर्षक-2405- मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन-01- केन्द्रप्रायोजित योजनाएं, 0106- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत पारंपरिक मछुआरों के लिए आजीविका और पोषण सहायता (के0-33.33/रा0-33.33/ला0-33.33 के0+रा0) 20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैरवेतन) में धनराशि रू0 26.43 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य महानिदेशक मत्स्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) आंकडों की शुद्धता का दायित्व महानिदेशक मत्स्य का होगा।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3 - यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न आर.ई.संख्या–बजट-1-353, दिनाँक 20.02.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by RAMCHARAN RAM
Date: 28-02-2026 15:56:55

(राम चरन राम)
अनु सचिव।

संख्या 10 /2026/427/ सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
(4) सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
(5) उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।
(6) वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनु0-3
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)
अनु सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A017-20252026-17-1099-145-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण सम्बंधी सहायता हेतु सृजित नवीन लेखाशीर्षक में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के पुरूष वर्ग में प्राविधानित धनराशि रू0 16500.00 लाख में से पुनर्विर्नियोग के माध्यम से धनराशि रू0 26.43 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
017	2405001010103 (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)-(के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.))	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,65,00,00,000 रुपये एक अरब पैंसठ करोड़ मात्र	1,43,35,35,284 रुपये एक अरब तैंतालीस करोड़ पैंतीस लाख पैंतीस हजार दो सौ चौरासी मात्र	26,43,000 रुपये छब्बीस लाख तैंतालीस हजार मात्र	2643000 -	164-7357000 -	2025-2026
कुल					₹ 26,43,000	₹ 0		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
017	2405001010106 (पीएम मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत पारंपरिक मछुआरो के परिवारों के लिए सहायता)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	0 शून्य	26,43,000 रुपये छब्बीस लाख तैंतालीस हजार मात्र	2643000 -	2643000 -	2025-2026
कुल				₹ 26,43,000	₹ 0		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- बचत की जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

संख्या. -2025-26, दिनांक- फरवरी, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।

(राम चरन राम)

(अनु सचिव)

Digitally signed by RAHUL KUMAR
Date: 20-02-2026 14:49:17
(अनु सचिव)

संख्या : / , दिनांक- 20 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
(4) सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
(5) उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।
(6) वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनु0-3
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राम चरन राम)
(अनु सचिव)